

न्यायालय

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सुमिया

बनाम बलनी

मुकदमा संख्या / वर्ष

: 58 / 2021


क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/1 2023		पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय का नूतन व्यवस्था/प्रोटोकॉल ड्यूटी पर पधारि हुए है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हो। 23-1-2023	
23/12		पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 7/2/2023 को पेश हो।	
7/2 2023		पत्रावली प्रस्तुत। वारी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसील फार आमेर द्वारा पेशी डिगंड 11/1/2022 को कुरैजात नहीं बने संबंध रिपोर्ट पेश की की। पत्रावली वारी के जवाब/खसरा रिपोर्ट पर पेशी डिगंड 9/12/2022 को आदेशित किया गया था परन्तु वारी द्वारा आज डिगंड तक न तो जवाब पेश किया है न ही खसरा की गई। तहसील फार कोर्ट से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें नोट किया गया है कि खसरा नम्बर 262 रकबा 0.53 है, सम्पूर्ण में आवासीय कालोनी बनी हुई है। मकै पट कृषि कार्य नहीं हो रहा है। कुरैजात रिपोर्ट बनाया संभव नहीं है। वारी ने इस संबंध में किमी प्रकाट	

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

ज्यायालय (सहायक कलेक्टर) अमरेस, जयपुर

श्रीमती सुमित्रा देवी वर्मा श्रीमती वर्मा

सं. 58/21

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>के कोई सक्षम पेशा नहीं किया है तहसीलदार ऑफिस की रिपोर्ट के आधार पर वाद में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अतः तहसीलदार ऑफिस की रिपोर्ट के आधार पर वाद जारी खारिज किया जाता है। पभावली कमल शुभा होकर बरिष्ठ लगा है।</p> <p> 7/2/23 सहायक कलेक्टर अमरेस मु. जयपुर</p>	